

वदियुत संशोधन वधियक, 2022

प्रलमिस के लयि:

वदियुत संशोधन वधियक, सातवी अनुसूची

मेन्स के लयि:

पावर सेक्टर का महत्त्व, बजिली बलि के तहत संशोधन, सब्सडी की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वरिध के बीच वदियुत (संशोधन) वधियक 2022 को [संसद](#) में पेश कयिा गया और बाद में इसे आगे के वचिर-वमिरश हेतु [स्थायी समति](#) के पास भेजा गया।

- तमलिनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और अन्य राज्यों में कई वदियुत इंजीनयिरी ने इस वधियक का वरिध कयिा।

वदियुत संशोधन वधियक, 2022

■ परचय:

- वदियुत संशोधन वधियक, 2022 का उद्देश्य कई अभकि रतताओं को [बजिली आपूरतकिरतताओं के वतिरण नेटवरक](#) तक खुली पहुँच प्रदान करना और उपभोक्ताओं को कसिी भी सेवा प्रदाता को चुनने की अनुमतदिना है।

■ नहितारथ:

- वधियक में वदियुत अधनियिम 2003 में संशोधन करने का प्रयास कयिा गया है:
 - प्रतसिपरद्धा को सक्षम बनाने, उपभोक्ताओं हेतु सेवाओं में सुधार करने और बजिली क्षेत्र की स्थरिता सुनशिचति करने के लयि वतिरण लाइसेंसधारयिों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से गैर-भेदभावपूरण "खुली पहुँच" के प्रावधानों के तहत सभी लाइसेंसधारयिों द्वारा वतिरण नेटवरक के उपयोग को सुवधिजनक बनाना।
 - वतिरण लाइसेंसधारी के वतिरण नेटवरक तक गैर-भेदभावपूरण खुली पहुँच की सुवधि प्रदान करना।
 - आयोग द्वारा अधिकितम सीमा और न्यूनतम प्रशुल्क के अनवार्य नरिधारण के अलावा वर्ष में प्रशुल्क में श्रेणीबद्ध संशोधन का प्रावधान करना।
 - दंड की दर को कारावास या जुरमाने से अरथदंड में परविरतति करना।
 - नयिमकों द्वारा नरिवहन कयि जाने वाले कार्यों को मज़बूत करना।

वधियक के खलिाफ वरिधकर्तताओं के तरक:

■ संघीय संरचना:

- [संवधिान](#) की सातवी अनुसूची की समवर्ती सूची III के आइटम 38 के रूप में 'बजिली' को सूचीबद्ध करता है, इसलयि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास इस वषिय पर कानून बनाने की शक्ति है।
 - प्रस्तावति संशोधनों भारत के संवधिान के [संघीय ढाँचे](#) एवं 'मूल ढाँचे' का उल्लंघन कयिा जा रहा है।

■ वदियुत सब्सडी:

- कसिानों और [गरीबी रेखा से नीचे](#) की आबादी के लयि मुफ्त बजिली अंतत: खत्म हो जाएगी।

■ वभिदक वतिरण:

- केवल सरकारी डसिकॉम या वतिरण कंपनयिों के पास सार्वभौमकि बजिली आपूरतदियतिव होंगे।
 - इसलयि यह संभावना है कि नजिी लाइसेंसधारी औद्योगकि और वाणजियकि उपभोक्ताओं को लाभ वाले क्षेत्रों में बजिली की आपूरतकिरना पसंद करेंगे।

- ऐसा होने पर सरकारी डिस्कॉम से मुनाफा वाले क्षेत्र छीन लिये जाएंगे और वह घाटे में चल रही कंपनी बन जाएगी।

वधियक का वदियुत करमचारयों और उपभोक्ताओं पर परभाव:

- नजि आपूरतकिर्रताओं का एकाधकिार:
 - इससे सरकारी वतिरण कंपनयों को बड़ा नुकसान होगा और अंततः देश के वदियुत क्षेत्र में कुछ नजि पारटयों को एकाधकिार स्थापति करने में मदद मलिंगी।
- परचालन मुददा:
 - आपूरतकी लागत का लगभग 80% वदियुत खरीद में खर्च होता है, जो एक क्षेत्र में काम कर रहे सभी वतिरण लाइसेंसधारयों के लिये समान होगी।
 - अलग-अलग खुदरा वकिरेता होने से परचालन संबंधी समस्याएँ बढ़ जाएंगी।
 - अधिक खुदरा वकिरेताओं या वतिरण लाइसेंसधारयों को लाने से सेवा की गुणवत्ता या कीमत में सुधार नहीं होगा।
- उपभोक्ताओं को नुकसान:
 - यूके के लेखा परीक्षकों की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे दोषपूर्ण मॉडलों को अपनाने के कारण उपभोक्ताओं को 2.6 बलियन पाउंड से अधिक का भुगतान करना पड़ा।
 - ऐसे अंतरण की लागत सामान्य उपभोक्ता से वसूल की जाती थी।
 - जब नजि कंपनयों वफिल होती हैं तो उपभोक्ताओं को सबसे अधिक नुकसान होता है।

वधियक को लेकर सरकार का तरक:

- सरकार ने यह सुनिश्चित कया है कवधियक में कोई प्रावधान वदियुत वतिरण क्षेत्र को वनियमति करने, बजिली सब्सिडी का भुगतान करने के लिये राज्यों की शक्तयों को कम नहीं करता है।
- सरकार ने संकेत दया है कएक ही क्षेत्र में कई डिस्कॉम पहले से मौजूद हो सकते हैं और वधियक केवल प्रक्रया को सरल बनाता है ताकयिह सुनिश्चित हो सके कप्रतसिपर्द्धा बेहतर संचालन और सेवा सुनिश्चित करे।
- सरकार ने कहा है कउसने हर राज्य और कई संघ राज्यों से लखिति में सलाह ली है, जसिमें कृषि मंत्रालय का एक अलग लखिति आश्वासन भी शामिल है कबलि में कसिान वरिधी कुछ भी नहीं है।
 - यह बलि एक क्षेत्र में औद्योगिक और वाणज्यिक उपयोगकर्ताओं से एक्टर की गई अतरिकित क्रॉस-सब्सिडी के उपयोग की अनुमति देता है ताकअन्य क्षेत्रों में गरीबों को सब्सिडी दी जा सके।
 - भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी स्थापति बजिली क्षमता का 50% हासलि करने का लक्ष्य रखा है, सरकार का मानना है कबलि में उल्लखिति नवीकरणीय खरीद दायित्वों (RPO) का बढ़ावा भारत की बजिली की मांग को बढ़ाएगा, [जौरसि एवं ग्लासगो समझौता](#) के अनुसार नरिधारति हरति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ते हुए अगले आठ वर्षों में दोगुना होने की उम्मीद है।

आगे की राह

- भारतीय संवधान की समवर्ती सूची का वषिय होने के कारण वधियक के प्रावधानों के प्रभावी कार्यानवयन के लिये राज्यों की सफारशियों को ध्यान में रखा जाना चाहयि।
- कसिी भी प्रकार के भ्रम/संघर्ष को समाप्त करने के लिये सब्सिडी से संबंधति प्रावधान को वसितृत तरीके से प्रस्तुत कया जाना चाहयि।
- अंतर-वतिरण की स्थिति से बचने हेतु नजि कंपनयों के लिये नयिम बनाए जाने चाहयि।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वर्ष के प्रश्न (PYQs):

नमिनलखिति में से कौन सरकार की 'उदय' योजना का एक उद्देश्य है? (2016)।

- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में स्टार्ट-अप उद्यमयों को तकनीकी और वतितीय सहायता प्रदान करना।
- वर्ष 2018 तक देश के हर घर को बजिली उपलब्ध कराना।
- समय के साथ कोयला आधारति बजिली संयंत्रों को प्राकृतिक गैस, परमाणु, सौर, पवन और ज्वारीय बजिली संयंत्रों से प्रतस्थापति करना।
- बजिली वतिरण कंपनयों के वतितीय बदलाव और पुनरुद्धार के लिये अवसर प्रदान करना।

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- उज्ज्वल डिस्कॉम (DISCOM) एशयोरस योजना (उदय) वदियुत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य बजिली वतिरण कंपनयों (DISCOMS) को वतितीय और परचालन रूप से सशक्त बनाने में सहायता करना है ताकवै सस्ती दरों पर परयाप्त बजिली की आपूरत कर सकें।
- इसके अंतरगत वतितीय बदलाव जैसे परचालन सुधार; बजिली उत्पादन की लागत में कमी; अक्षय ऊर्जा का विकास; ऊर्जा दक्षता और संरक्षण आर्दकी परकिलपना की गई थी।

- यह योजना वित्तीय और परचालन रूप से सुदृढ़ डिसिऑम को प्रभावति करने का प्रयास करती है जिसमें बजिली की मांग में वृद्धि; उत्पादक संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर (PLF) में सुधार; दबावग्रस्त परसिंपत्तियों में कमी; सस्ते ऋण की उपलब्धता; पूंजी नविश में वृद्धि; अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का विकास शामिल है।
- अतः विकल्प (d) सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/electricity-amendment-bill,-2022>

